

2022/164

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
105/22	88,91,89,188 LRAct	पीपलखेडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लटुरी बाई वगै.	बनाम	रंगलाल	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

23/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,89,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 31/01/23 को पेश हो।

31/23

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाध होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.01.23 को पेश हो। वादतलब सभत प्राप्त की है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

28/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 व 5 के वाद तलब सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी क्रम 1 व 5 वाक्यूअं सुपना के अनुपस्थित रहे हैं। इनके निम्न 13 वरदा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाले साक्ष्यकारी दिनांक 15/23 को पेश हो।

17/23

पत्रावली MRC के भां के वाद पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्यकारी उपस्थित नहीं। सम्मन पाठां है। वास्ते साक्ष्यकारी पत्रावली दिनांक 6/9/23 को पेश हो।

6/23


आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाध होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.9.23 को पेश हो।

1/7

5.7.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर/ साक्ष्यवादी उपर नहीं है। लक्षण वास्ते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 3.9.24 को पेश हो।

9.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर/ साक्ष्यवादी उपर नहीं है। अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 14.10.24 को पेश हो।

4.10.24 ~~अस्थितिकता के कारण~~ ~~अन्य कार्य में~~
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.10.24 को पेश हो।


 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छथड़ा (धारा)

1.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय में रुक रुक कर 03 बौर आवाज लगाई गई। न्यायालय निरकारण लक्षण होने तक इन्तजार किया गया। वावजूद मुख्य के न्यायालय में उपस्थित नहीं। सिविल प्रोडिफा संदित के आदेश 9 नियम 3 के तहत बतौर पत्रावली इसी स्तर पर जारी की जाती है। पत्रावली फैसल मुद्दा लेकर दाखिल दफ्तर हो।